संख्या: 97/2026/357पू0वि0नि0/35-1-2026-1770664

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
चन्दौली।

नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 06 मई, 2026

विषय:- पूर्वान्चल विकास निधि (राज्यांश) अनुदान संख्या-40 में जनपद चन्दौली की कुल 09 परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु अवशेष धनराशि के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक नियोजन अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-92/2026/224पू0वि0नि0/35-1-2026-1770664, दिनांक 29.03.2026 तथा जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, चन्दौली का पत्रांक 1370/पू0वि0नि0-राज्यांश/2025-26, दिनांक 31 मार्च, 2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 29.03.2026 के प्रस्तर-2 में उल्लिखित तालिका के स्तम्भ-2 में अंकित कुल 09 परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में अगली किश्त के रूप में स्तम्भ-13 में अंकित योग रू० 87.64 लाख (रूपये सत्तासी लाख चौंसठ हजार मात्र) की धनराशि पूर्वान्चल विकास निधि(राज्यांश) अनुदान संख्या-40 से अवमुक्त करते हुये प्रस्तर-3 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जबकि विषयगत प्रकरण के संबंध में जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, चन्दौली के संदर्भित पत्र दिनांक 31 मार्च, 2026 द्वारा दी गयी आख्यानुसार शासनादेश विलम्ब से प्राप्त होने के फलस्वरूप आवंटित धनराशि कोषागार से धनराशि आहरित नहीं होने के कारण स्वीकृत धनराशि शासन को समर्पण के रूप में स्वीकार करने का शासन से अनुरोध किया गया है। प्रश्नगत 09 परियोजनाएं निम्नवत है:-

(1)विकास खण्ड चकिया के ग्राम सभा सोनहुल में जितेन्द्र सिंह के घर से गोपाल खरवार के घर तक सी०सी० रोड निर्माण कार्य।

(2)विकास खण्ड नौगढ़ के ग्राम सभा अमदहा चरनपुर में रामचन्दर केशरी के घर से अशोक सिंह के घर तक सी०सी० रोड निर्माण कार्य।

(3) विकासखण्ड नौगढ़ में ग्राम सभा गढ़वा के राजस्व ग्राम सत्यनारायणपुर में प्राथमिक विद्यालय के दक्षिण मेन रोड से रमाकान्त शुक्ला के घर तक सी०सी०रोड निर्माण कार्य।

(4) विकास खण्ड चकिया के ग्राम सभा मैनपुर में शंकर जी के मंदिर से पंचायत भवन तक साईडवॉल, ह्युम पाईप एवं सी०सी० रोड निर्माण कार्य।

(5) जनपद चन्दौली के विकास खण्ड नियमताबाद में पत्रोदेवी शिक्षण संस्थान महाविद्यालय लक्ष्मीपुर मुगलसराय में ग्राम लोहरा चौराहा से महाविद्यालय के गेट तक सी० सी० रोड का निर्माण कार्य।

(6) विकास खण्ड धानापुर के कमालपुर अमडा़ मुख्य मार्ग से चिलबिडी़ गोपालपुर सम्पर्क मार्ग तक पिच रोड़ का निर्माण कार्य।

(7) विकास खण्ड शहाबगंज के ग्राम सभा पड़रिया में राघव चौहान के घर से मधुसूदन के खेत तक सी०सी० रोड निर्माण कार्य।

(8) विकास खण्ड चकिया के ग्राम सभा सोता में नहर पुलिया से गुलाब सिंह के मकान से प्राथमिक विद्यालय की तरफ सीसी रोड निर्माण कार्य।

(9) विकास खण्ड शहाबगंज के ग्राम सभा वनरशिया से इशरगोड़वा में सुरेंद्र के घर से राम किशुन के घर तक सीसी रोड निर्माण कार्य।

3. अत: मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत शासनादेश संख्या-92/2026/224पू0वि0नि0/35-1-2026-1770664, दिनांक 29.03.2026 द्वारा जनपद चन्दौली की उक्त 09 परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु अवमुक्त कुल रू० 87.64 लाख (रूपये सत्तासी लाख चौंसठ हजार मात्र) की अवशेष धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अवमुक्त किये

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

जाने की एतद्द्वारा श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते हैं। तद्नुक्रम में उक्त शासनादेश दिनांक 29.03.2026 में उल्लिखित वित्तीय वर्ष 2025-26 के स्थान पर वित्तीय वर्ष 2026-27 पढा जायेगा।

4. उपरोक्त के क्रम में यह भी सुनिश्चित किया जाए कि उक्तानुसार अवमुक्त धनराशि को आहरित किये जाने में किसी भी दशा में द्विरावृत्ति(duplicacy) न होने पाए।

5. प्रश्नगत शासनादेश दिनांक 29.03.2026 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय तथा शर्ते एवं प्राविधान यथावत रहेंगे।

भवदीय,

(राजेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी ।
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. महालेखाकार,लेखा परीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
6. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. मण्डलायुक्त, वाराणसी।
8. मुख्य विकास अधिकारी, चन्दौली ।
9. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, चन्दौली ।
10. वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
11. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, चन्दौली ।
12. अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड, चन्दौली, ।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।